कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email Id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 919 / 12-1 देहरादूनः दिनांक: 10 सितम्बर, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषयः–जनपद चमोली में नंदप्रयाग घाट किमी0 15 से जाखनी तक मोटर मार्ग का निर्माण अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।
सन्दर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी0/यू0सी0पी0/08/87/2020/एफ0सी0/1410, दिनांक–30.09.2020। (प्रति संलग्न) FP/UK/ROAD/38448/2019

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसरो भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 619/12–1 दिनांक 06.08.2024 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है :–

| क्र0 सं0 | शर्त का विवरण | अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| 1 | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी। | प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 2 | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। | प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 3 | प्रतिपूरक वनीकरण<br>(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.795 है0 अवनत वन भूमि नावली पंवम क0सं0 2 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहाँ तक व्यवहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लाटेशन से बचे। | शर्त सं0 03 (क) के अनुपालन में वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी की लागत पर 7.795 है0 अवनत वन भूमि नवाली पंवम क0न0 02 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा एवं वृक्षारोपण में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियां लगायी जायेगी तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु देय धनराशि रू0 16,16,797 ऑनलाईन चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। (क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राक्कलन संलग्नक–1) |
| (ख) | वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्रफल पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण का कार्य नही किया गया है। | शर्त सं0 3 (ख)के अनुपालन में वृक्षरोपण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्न–2) |
| 4 | शुद्ध वर्तमान मूल्य<br>इस संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायलय के WP(C) संख्या : 202/1995 में IA के नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 –एफ0सी0(पी0टी0 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दि0 03.10.2006 एवं 573/2007 –एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.3975 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावेदन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। | शर्त सं0 4(क) के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय नई दिल्ली के पत्र सं0 5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार क्षेत्र देय धनराशि रू0 15,75,157.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है। |
| (ख) | विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध मूल्य अतिरिक्त राशि यदि जो अन्तिम रूप देने के बाद हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा । प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।(संलग्न–3) |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्याा प्रस्तावित के अनुसार 45 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के संख्ता पर्यवेक्षण में कटेंगे, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडो की कटाई की लागत जमा की जायेगी। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडो की कटाई की लागत जमा की जा चुकी है। |
| 6. | State Govt will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2.The State Govt will stricly monitor and ensure that no further activity us carried out under such permission after the expiry of one year form the date of issue of such permission. | शर्त सं0 6 का अनुपालन किया जायेगा। |
| 7. | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई पोर्टल (https//parivesh.nic.nic/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोश प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित /जमा किए जाएंगे। | शर्त सं0 7 का प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक एवं योजना प्राधिकरण फण्ड में ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है। (संलग्न--4) |
| 8 | एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डो के अनुसार सड़के के दोनो किनारों एवं उसके बीचो बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा। | प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। |
| 9 | संरक्षित क्षेत्रो/वनक्षेत्रों मे निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेगे। | प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। |
| 10 | पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। |
| 11. | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। |
| 12. | वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। |
| 13. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन की किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। |
| 14 | सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर सीमांकन किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। |
| 15 | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वनक्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। |
| 16 | इस अनुमादन में प्रत्यावर्तन की अवधि का प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जाएगा। | प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। |
| 17 | वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। |
| 18 | केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति क बिना प्रत्यार्वतन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। |
| 19 | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तान मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर | प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। |

| | | |
|---|---|---|
| | कार्यवाही होगी। | |
| 20 | पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। |
| 21 | प्रयोक्ता एजेन्सी पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजाति के पौध लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनायी जायेगी। निस्तारण स्थलों का राज्य के वन विभाग को सौपेने से पूर्व इनका स्थरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षो की कटाई की अनुमति नही होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। |
| 22 | यदि कोई अन्य सम्बन्धित /अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्ता एजेन्सी को जिम्मेदारी होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। |
| 23. | अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https//parivesh.nic.nic/) पर अपलोड की जायेगी। | अनुपालन आख्या ऑनलाईन अपलोड किया जा चुकी है। |

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित 2023 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(आर0 के0 मिश्र )
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

पत्रांकः– 919 / 10/09/25 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक , गढ़वाल वृत्त पौड़ी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग।
3. प्रबन्धक एन0पी0सी0सी0लि0, कर्णप्रयाग।

(आर0 के0 मिश्र )
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

NATIONAL PROJECTS CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED
(A Govt. Of India Enterprises)
Uttarakhand Zonal Office Dehradun

**पत्रांक सं०.NPCC/PMGSY/2020/39**

**Date:25.01.2021**

**सेवा में,**

**श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी**

**बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर**

**विषयः जनपद चमोली में नंदप्रयाग-घाट मोटर मार्ग के कि.मी. 15 से जाखणी तक मोटर मार्ग का निर्माण**

**संदर्भः 8बी/यू. सी.पी./06/67/2020/एफ. सी./1410 दिनांक 30/09/2020**

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा पत्रांक **8बी/यू. सी.पी./06/67/2020/एफ. सी./1410 दिनांक 30/09/2020** को कतिपय शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर दी गई थी। अधिरोपित शर्तों का बिंदुवार अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

1) शर्त संख्या 1 के अनुपालना में भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2) शर्त संख्या 2 के अनुपालना में प्रयोक्ता एजेंसी की सहमति है।
3) शर्त संख्या 3 के अनुपालना में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा **4.795** है0 अनवत वन भूमि नवाली पंचम करने 02 में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु देय धनराशि रू0 16,**16,797.00** ऑनलाइन चालान के माध्यम से जमा की गई है एवं वृक्षारोपण में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियां लगाई जाएंगी।
4) (क) के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संलग्न 5-3**/2007,** एफ0सी0 दिनांक 05**/2/2009** में उल्लिखित दरो के अनुसार क्षेत्र में प्रभावित क्षेत्र की गणना के अनुसार देय धनराशि रू0 15,**75,157.00** ऑनलाइन चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी हैं।
(ख) शर्त सं 04 के में अनुपालना प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एन0पी0वी की दर में जो बढ़ोतरी होती है उसे जमा करने की बचनबदता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है प्रति संलग्न है। (संलग्न 02)
5) शर्त संख्या 5 के अनुपालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई प्रस्ताव के अनुसार ही की जाएगी एवं पेड़ों के कटान की लागत वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी जाएगी।
6) शर्त संख्या 6 की अनुपालना वन विभाग द्वारा की जानी है।
7) शर्त संख्या 7 की अनुपालना में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कुल देय धनराशि रुपये **31,91,954.00** ऑनलाइन जनरेटर चालान के माध्यम जमा की जा चुकी है। जमा प्रति संलग्न हैं। (संलग्न **-3)**
8) शर्त संख्या 8 की अनुपालना में एफ आर ए,**2006** का पूर्ण अधिकार जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जाएगा ।
9) शर्त संख्या 9 का अनुपालना प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा की जाएगी।
10) शर्त संख्या 10 के अनुपालना मे प्रर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार प्रर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।
11) शर्त संख्या 11 के अनुपालना में केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा ।

Zonal Office : 98, Nehru colony, Dalanwala, Dehradun, Uttarakhand 248001 , mail: npccnwz@gmail.com Tel No 0135-2675725

12) शर्त संख्या 12 के अनुपालना मे वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

13) शर्त संख्या 13 के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मज़दूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत: वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

14) शर्त संख्या 14 के अनुपालना में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

15) शर्त संख्या 15 के अनुपालना में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

16) शर्त संख्या 16 के अनुपालना में प्रत्यावर्तन की इस अनुमोदन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।

17) शर्त संख्या 17 के अनुपालना में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनो के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

18) शर्त संख्या 18 के अनुपालना में केंद्र सरकार की पूर्वानुमानित के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

19) शर्त संख्या 19 के अनुपालना में किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

20) शर्त संख्या 20 के अनुपालना में प्रयोक्ता एजेंसी सहमति देती है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण एवं विकास के हित समय समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

21) शर्त संख्या 21 के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व निर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबा निस्तारण किया जाएगा कि मलबा अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरेगा तथा वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना के लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित कराने का कार्य किया जाएगा तथा मलबे यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी निस्तारण क्षेत्र में वृक्षो की कटाई नहीं की जाएगी। प्सीमा

22) यदि कोई संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालयी आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अनुमति ली जाएगी।

23) अनुपालना रिपोर्ट ई-पोटर्ल (https://parivesh.nic /in/) पर अपलोड की जाएगी।

दिनांक:

# प्रमाणपत्र

**जनपद चमोली में नंदप्रयाग-घाट मोटर मार्ग के कि.मी. 15 से जाखणी तक** प्रस्तावित मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा पत्रांक **8बी/यू. सी.पी./06/67/2020/एफ. सी./1410 दिनांक 30/09/2020** को कतिपय शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर दी गई थी।

स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या 4 के अनुपालना में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 5-**3/2007,** एफ सी दिनांक 05**/02/2009** में उल्लिखित दरों के अनुसार गणना करके प्रभावित क्षेत्र एन०पी०वी० की देय धनराशि रूपये रू0 15,75,157.00 (सिर्फ पंद्रह लाख पिचहतर हजार एक सौ सत्तावन रूपये) आनलाइन चालान के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है।

शर्त संख्या 4 (ख) के अनुपालना में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि , यदि कोई है, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो इस परिस्थिति में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अतिरिक्त धनराशि जमा करा दी जाएगी।

**पी०आई०यू**
**पी०एम०जी०एस०वाई वर्क्स**